वेदिक सोसाइटी

(वालेंटरी एजुकेशन डेव्लपमेंट एंड इंटिग्रेटेड कल्चरल सोसाइटी)

लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा नीति

[Protection against Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) Policy]

माको, डाक: लातेहार, जिला: लातेहार
झारखंड – 829 206, भारत
फोन: +91 9431135220
ईमेल: vedic350@gmail.com,
वेबसाइट: http://www.vedicsociety.net.in

विषय वस्तु

वेदिक सोसाइटी के बारे में 2
1. परिचय 4
2. उद्देश्य 4
3. परिभाषाएँ 4
4. यौन शोषण और दुर्व्यवहार क्या है? 4
5. वेदिक सोसाइटी की यौन शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध नीति के प्रति कटिबद्धता 5
6. यौन शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध नीति का ढांचा 6
7. अनुकूलन और संशोधन 9

वेदिक सोसाइटी के बारे में

वेदिक सोसाइटी ने अपने सामाजिक विकास के प्रयासों की शुरुआत वर्ष 1990 में की थी। इसके पीछे की प्रेरणा औरंगा बांध के निर्माण के कारण गरीब लोगों के विस्थापन के विरुद्ध आंदोलन था**,** जिससे कई गांव जलमग्न हो गए थे। जब यह आंदोलन चल रहा था, तभी समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह एक संगठन स्थापित करने के विचार के साथ आया, जो क्षेत्र और इसकी आबादी के सतत विकास के विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए समर्पित हो। वर्ष 1991 में इसे सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया और पलामू जिले के रांकी खुर्द में इसका कार्यालय स्थापित किया गया। बाद में यह कार्यालय 1995 में तुंबागड़ा और अंतत: 2001 में लातेहार में स्थानांतरित हो गया।

स्थापना के बाद से यह संगठन समाज के दलित लोगों के समग्र विकास के अपने बहुप्रतीक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लोगों के लिए और लोगों के साथ लगातार काम कर रहा है। यद्यपि लातेहार जिला और उसके आस-पास के जिले चरमपंथी गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित हैं जो विकास की प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, यह संगठन हमेशा गरीबों, विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे, और पिछड़े वर्ग और देशज आदिवासी समुदायों के लोगों, के जीवन में सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने में उत्प्रेरक के रूप में विकसित होने की अपनी अदम्य इच्छा को पोषित करता है।

वर्तमान में वेदिक सोसाइटी झारखंड के दो सबसे पिछड़े जिलों में अपने मुख्यालय लातेहार और तुंबागड़ा में एक क्षेत्र कार्यालय से काम कर राहा है। वर्तमान कार्यक्षेत्र में **लातेहार** और **पलामू** जिले सम्मिलित हैं। संगठन निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रों को संबोधित करता है:

- बुनियादी शिक्षा
- सामुदायिक स्वास्थ्य
- आजीविका - कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
- बाल अधिकार और विकास
- महिला अधिकार और विकास
- अभिशासन और लोगों की सहभागिता

अपने कार्यक्षेत्र में व्याप्त सामाजिक-राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में, वेदिक सोसायटी के लक्ष्य का मूल और इसके प्रमुख लाभार्थी सबसे कमजोर आदिवासी आबादी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इसके पूरे प्रयास में महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण सीमांत किसानों पर विशेष बल दिया गया है।

विजन

समायोजित और जीवंत स्वशासित समाज का निर्माण, जहां सभी समुदायों के लोग शांति और सद्भाव पूर्वक सम्मान के साथ रहते हैं।

मिशन

आदिवासी समुदायों और समाज के वंचित वर्ग के लोगों, विशेष रूप से बच्चों, किशोरों और महिलाओं को उनके अधिकारों को सुनिश्चित करके और समावेशी विकास को बढ़ावा देकर समाज को शोषण और भेदभाव से मुक्त बनाना।

उद्देश्य

- जाति, पंथ और लिंग के बिना सभी के लिए विकास के समान अवसर सुनिश्चित करना
- विशेष रूप से आदिवासी और पिछड़े समुदायों के बच्चों और महिलाओं के अधिकारों और हकों के संबंध में उनकी स्थिति में सुधार करना
- प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी और प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना
- स्वास्थ्य के प्रति सामुदायिक जागरूकता पैदा करना और समग्र ग्रामीण स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण इनपुट के साथ स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सुविधा प्रदान करना
- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सीबीओ और एसएचजी के अंतर्गत संगठित कर और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर उनके लिए आजीविका के अवसर पैदा करने में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करना
- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण के क्षरण को कम करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देना
- विशेषकर आदिवासी और पिछड़े समुदायों के सीमांत लोगों और महिलाओं को नेतृत्व विकास और ग्रामीण स्वशासन में भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता निर्माण में सहायता करके उन्हें सशक्त बनाना
- सतत समग्र विकास के लिए सभी विकास कार्यक्रमों का एकीकृत तरीके से अभिसरण करने के लिए सरकारी विभागों और अन्य विकास एजेंसियों के साथ सहयोग करना

1. परिचय

महिलाएं परिवार, समाज और कार्यस्थल पर दूसरों के अधीन होती हैं। अनादि काल से इस अधीनता को सुनिश्चित करने का सबसे आम साधन महिलाओं और लड़कियों का यौन शोषण है। विशेष रूप से बच्चों, किशोरों और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले संगठन के रूप में, वेदिक सोसाइटी यौन शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति शून्य सहनशीलता रखती है। यह नीति यौन शोषण और दुर्व्यवहार से महिलाओं और लड़कियों की रक्षा के लिए वेदिक सोसायटी की प्रतिबद्धता का विवरण देती है और इसके सभी कर्मचारियों और संबंधित कर्मियों, जिनमें शासी निकाय के सदस्य, मुख्य अधिकारी, सलाहकार, ठेकेदार और संगठन के परिसर और कार्य क्षेत्र में आगंतुक सम्मिलित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, पर लक्षित है।

2. उद्देश्य

- वेदिक सोसायटी के सभी कर्मचारियों और संबंधित कर्मियों के लिए यौन शोषण और दुर्व्यवहार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति लागू करना
- सुनिश्चित करना कि वेदिक सोसाइटी के अंदर यौन शोषण और दुर्व्यवहार के संबंध में भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और आचरण के अपेक्षित मानकों को जाना जाता है
- मजबूत रोकथाम और प्रतिक्रिया कार्य के माध्यम से, आंतरिक रूप से और वेदिक सोसाइटी द्वारा आच्छादित समुदायों में इस उद्देश्य से उचित चरण उठाना जिनसे यौन शोषण और दुर्व्यवहार से मुक्त सुरक्षित वातावरण का सृजन किया जा सके और बनाए रखा जा सके

3. परिभाषाएँ

यौन शोषण से तात्पर्य यौन उद्देश्यों के लिए भेद्यता, अंतर शक्ति, या विश्वास की स्थिति के किसी भी वास्तविक या प्रयास किए गए दुरुपयोग से है, जिसमें दूसरे के यौन शोषण से आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से लाभ प्राप्त करना सम्मिलित है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

यौन दुर्व्यवहार से तात्पर्य यौन प्रकृति के वास्तविक या धमकी भरे शारीरिक घुसपैठ से है, चाहे वह बल द्वारा या असमान या जबरदस्ती की स्थिति में हो।

बच्चों (18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति) के साथ **यौन गतिविधि** स्थानीय स्तर पर वयस्क होने की आयु या सहमति की आयु की परवाह किए बिना निषिद्ध है। बच्चे की उम्र न जानना या गलती करना बचाव नहीं है।

4. यौन शोषण और दुर्व्यवहार क्या है?

यौन शोषण और दुर्व्यवहार में (प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से) यौन प्रकृति का ऐसा अवांछित व्यवहार सम्मिलित है जैसे कि:

- शारीरिक संपर्क और प्रयास;

- यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध;
- यौन प्रकृति की टिप्पणी;
- अश्लील सामग्री दिखाना;
- मौखिक, गैर-मौखिक, या शारीरिक आचरण से जुड़ी अवांछित यौन प्रयास जैसे कि यौन रूप से रंगीन टिप्पणियां, चुटकुले, पत्र, फोन कॉल, ई-मेल, इशारे, अश्लील साहित्य दिखाना, अजीबोगरीब घूरना, शारीरिक संपर्क या छेड़छाड़, पीछा करना, ध्वनियां, प्रदर्शन चित्र, संकेत, मौखिक या गैर-मौखिक संचार जो व्यक्तियों की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और उनके प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं;
- छेड़खानी, गाली-गलौज और ताने, किसी की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक बंधन और किसी की निजता में दखल की संभावना;
- अधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा कार्य या आचरण जो कार्यस्थल पर वातावरण को शत्रुतापूर्ण बनाता है या दूसरे लिंग से संबंधित व्यक्ति को डराता है;
- सेवायोजन के दौरान किसी कर्मचारी के संबंध में कार्य स्थल पर इस तरह का कार्य या इसके विपरीत; तथा
- यौन स्वर रखने वाले कर्मचारी द्वारा कोई भी अवांछित इशारा।

यौन उत्पीड़न भावनात्मक रूप से अपमानजनक है और कार्यस्थल पर अस्वस्थ, अनुत्पादक वातावरण बनाता है। यौन उत्पीड़न के मामलों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

उत्पीड़न के **किसी भी रूप** में, एक व्यक्ति या प्राधिकरण, आमतौर पर पीड़ित का वरिष्ठ, कार्य का लाभ दिलाने या पाने के लिए यौन अनुग्रह की मांग करता है और शर्तों को पूरा नहीं करने पर कर्मचारी को नौकरी से निकालने की धमकी देता है।

एक **शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण** तब उत्पन्न होता है जब एक सहकर्मी या पर्यवेक्षक मौखिक या शारीरिक आचरण के माध्यम से एक कार्य वातावरण बनाता है जो किसी अन्य सहकर्मी के कार्य के प्रदर्शन में हस्तक्षेप करता है या कार्यस्थल का माहौल बनाता है जो डराने वाला, शत्रुतापूर्ण, आक्रामक या अपमानजनक है और व्यक्तिगत गरिमा के लिए के ऊपर हमले के रूप में अनुभव किया जाता है।

5. वेदिक सोसाइटी की यौन शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध नीति के प्रति कटिबद्धता

वेदिक सोसाइटी एक ऐसा वातावरण बनाएगी और बनाए रखेगी जो यौन शोषण और उत्पीड़न से सुरक्षित और मुक्त हो। यह रोकथाम और प्रतिक्रिया उपायों सहित, एक मजबूत यौन शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध नीति के ढांचे के माध्यम से, जहां यह संचालित होता है, समुदायों में इस उद्देश्य के लिए उचित उपाय करेगा। यह यौन शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध नीति यौन शोषण और यौन शोषण से सुरक्षा[1] और इंटर एजेंसी स्टैंडिंग कमेटी (आईएसएसी) के यौन शोषण और उत्पीड़न से संबंधित छह मुख्य सिद्धांतों के पूर्ण, चल रहे क्रियान्वयन को प्राप्त करने के लिए वेदिक सोसाइटी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है:

[1] संयुक्त राष्ट्र महासचिव का विशेष उपायों पर बुलेटिन (एसटी/एसजीबी/2003/13)

1. मानवीय कार्यकर्ताओं द्वारा यौन शोषण और दुर्व्यवहार घोर कदाचार का कार्य है और इसलिए रोजगार की समाप्ति के लिए आधार हैं।
2. बच्चों (18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति) के साथ यौन गतिविधि स्थानीय स्तर पर वयस्क होने की आयु या सहमति की आयु की परवाह किए बिना निषिद्ध है। बच्चे की उम्र न जानना या गलती करना बचाव नहीं है।
3. यौन क्रिया के लिए धन, रोजगार, सामान या सेवाओं का आदान-प्रदान, जिसमें यौन अनुग्रह या अन्य प्रकार के अपमानजनक, अपमानजनक या शोषणकारी व्यवहार सम्मिलित हैं, निषिद्ध है। इसमें लाभार्थियों हक की सहायता का आदान-प्रदान सम्मिलित है।
4. मानवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने वालों और ऐसी मानवीय सहायता और सुरक्षा से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति के बीच कोई भी यौन संबंध जिसमें रैंक या पद का अनुचित उपयोग सम्मिलित है, निषिद्ध है। इस तरह के संबंध मानवीय सहायता कार्य की विश्वसनीयता और अखंडता को कमजोर करते हैं।
5. जहां एक मानवीय कार्यकर्ता किसी साथी कार्यकर्ता द्वारा यौन शोषण या शोषण के संबंध में चिंता या संदेह विकसित करता है, चाहे वह उसी एजेंसी में हो या नहीं, उसे स्थापित एजेंसी रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से ऐसी चिंताओं की रिपोर्ट करनी चाहिए।
6. मानवीय कार्यकर्ता एक ऐसा वातावरण बनाने और बनाए रखने के लिए बाध्य हैं जो यौन शोषण और दुर्व्यवहार को रोकता है और उनकी आचार संहिता के कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। इस माहौल को बनाए रखने वाली प्रणालियों का समर्थन और विकास करने के लिए सभी स्तरों पर प्रबंधकों की विशेष जिम्मेदारियां होती हैं।"

6. यौन शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध नीति का ढांचा

रोकथाम

पुरानी कहावत का पालन करते हुए कि रोकथाम इलाज से बेहतर है, वेदिक सोसाइटी जहां तक संभव हो, सेवायोजन के सभी संभावित उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को स्थापित स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं के अनुसार जांचती है जिसमें संदर्भ जांच शामिल है। कर्मचारियों के प्रेरण प्रशिक्षण में यौन शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध नीति का एक मॉड्यूल सम्मिलित है ताकि संगठन में कार्य करने वाले लोगों के बीच संदेश दिया जा सके कि संगठन की यौन शोषण और उत्पीड़न पर शून्य सहनशीलता है।

यौन शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध नीति और प्रक्रियाओं पर सभी कर्मचारियों और संबंधित कर्मियों के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है।

शिकायत प्रक्रिया

चाहे यौन शोषण और उत्पीड़न की कोई घटना कानून के अंतर्गत अपराध और रोजगार नियमों का उल्लंघन हो या न हो, वेदिक सोसाइटी में "शिकायत समिति" के रूप में एक उपयुक्त शिकायत तंत्र बनाया गया है, जो

कि शिकायत के समयबद्ध निवारण के लिए है। संगठन यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी शिकायतकर्ता को किसी भी शिकायत के परिणामस्वरूप सेवा के प्रतिकूल परिणाम न भुगतने पड़ें।

1. शिकायत समिति

वेदिक सोसाइटी ने यौन शोषण और उत्पीड़न की घटनाओं के निवारण और ऐसी शिकायतों के समयबद्ध समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया है। शिकायत समिति इसके लिए जिम्मेदार होगी:

- उत्पीड़न की हर औपचारिक लिखित शिकायत की जांच करना
- उत्पीड़न के किसी भी प्रमाणित आरोप का जवाब देने के लिए उचित उपचारात्मक उपाय करना
- कार्यस्थल पर किसी भी तरह के उत्पीड़न को हतोत्साहित करना और रोकना।

2. यौन शोषण और उत्पीड़न की घटनाओं के समाधान और निस्तारण के लिए प्रक्रियाएं

संगठन यौन शोषण और उत्पीड़न की चिंताओं के समाधान के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

3. अनौपचारिक समाधान विकल्प

जब यौन शोषण और उत्पीड़न की घटना होती है, तो पीड़ित अपनी अस्वीकृति और आपत्तियों को तुरंत अपराधी को बता सकता है और अपराधी से भविष्य में इस तरह के आचरण से दूर रहने का अनुरोध कर सकता है।

यदि कृत्य नहीं रुकता है या यदि पीड़िता सीधे अपराधी को संबोधित करने में सहज नहीं है, तो वह अपनी चिंताओं को शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत समिति के ध्यान में ला सकती है। इसके बाद शिकायत समिति अनुरोध के अनुसार सलाह देगी या समर्थन देगी और मामले को सुलझाने के लिए आवश्यक चरण उठाएगी।

स्थिति की गंभीरता के आधार पर, शिकायत समिति निम्नलिखित कार्यों में से किसी एक पर निर्णय ले सकती है:

- औपचारिक लिखित माफी
- भुगतान के बिना निलंबन प्रपत्र सेवाएं
- स्थानांतरण
- पदोन्नति रोकना
- समाप्ति
- पुलिस शिकायत, यदि आवश्यक हो

4. गोपनीयता

वेदिक सोसायटी समझती है कि पीड़ित के लिए यौन शोषण और उत्पीड़न की शिकायत के साथ आगे आना कठिन है और मामले को गोपनीय रखने में पीड़ित की रुचि को समझती है। पीड़ित, आरोपी व्यक्ति और अन्य जो एसईए की घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं, के हितों की रक्षा के लिए, किसी भी जांच प्रक्रिया के दौरान यथासंभव और उपयुक्त परिस्थितियों में गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।

यह सलाह दी जाती है कि पीड़ित घटना का रिकॉर्ड, यानी तारीख, स्थान, संभावित गवाह रखें और जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करें। बैठकों की सामग्री, जांच के परिणाम और अन्य प्रासंगिक सामग्री सहित शिकायतों के सभी रिकॉर्ड को संगठन द्वारा गोपनीय रखा जाएगा, सिवाय इसके कि अनुशासनात्मक या अन्य उपचारात्मक प्रक्रियाओं के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।

5. शिकायतकर्ता/पीड़ित को सुरक्षा

संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है कि कोई भी कर्मचारी जो उत्पीड़न के मामले को सामने लाता है उसके विरुद्ध किसी प्रकार की बदले की कार्यवाही न हो। कोई भी बदला अनुशासनात्मक कार्यवाही के आधीन होगा। संगठन सुनिश्चित करेगा कि पीड़ित या गवाहों का लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के निपटन के दौरान उत्पीड़न या भेदभाव न किया जाए। लेकिन यदि कोई इस प्रक्रिया का दुरूपयोग करेगा तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

6. द्वेषपूर्ण अभिप्राय से की गयी शिकायतें

इस नीति को एक उपकरण के रूप में विकसित किया गया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय और ईमानदारी के हित में हमारे कर्मचारियों के पास यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की दशा में संपर्क करने के लिए एक मंच हो। लेकिन यदि जांच में पता चलता है कि शिकायत दुर्भावना से की गयी थी और अभिप्राय संबंधित व्यक्ति की हानि पहुंचाना/संगठन में उसकी छवि को खराब करना और व्यक्तिगत/पेशेवर विवादों से निपटना था तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

यदि इसके ध्यान में कोई उत्पीड़न की कोई घटना लाई जाएगी तो कमेटी इस बारे में बिना किसी औपचारिक शिकायत के अपने आप भी कार्यवाही कर सकती है।

7. यौन शोषण और उत्पीड़न के बारे में कर्मचारियों की जिम्मेदारियां

संगठन के सभी कर्मचारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि उनका व्यवहार इस नीति के विरुद्ध न हो। यह नीति वेदिक सोसाइटी के हर कर्मचारी के रोजगार की शर्तों का भाग मानी जाएगी। सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि यौन शोषण और उत्पीड़न से मुक्त कार्य वातावरण को बनाए रखने को सशक्त करें।

7. अनुकूलन और संशोधन

इस यौन शोषण और उत्पीड़न नीति को दिनांक ... को आयोजित वेदिक सोसाइटी के शासी निकाय की बैठक में अनुकूलित किया गया। इसे तत्काल प्रभाव से क्रियान्वित किया गया है। क्रियान्वयन की तिथि से हर तीन साल के अंत में इसकी समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो उचित रूप से संशोधित किया जाएगा।

यौन शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध नीति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013, एवं देश में लागू किसी अन्य संबंधित कानून सहित लागू अन्य कानूनों के अनुरूप है।

अस्वीकरण: यौन शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध नीति मूल अंग्रेजी पाठ Protection against Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) Policy का हिंदी अनुवाद है। हालांकि पूरा प्रयास किया गया है कि अनुवाद सटीक हो, किसी भी विसंगति की दशा में अंग्रेजी पाठ को अनंतिम माना जाएगा।